UPPTCL

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPRATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्याः 900–पारे0अनु0–16 / पाट्रकालि / 2019–(74) / 2013 दिनांकः 02 अप्रैल, 2019

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर–। एवं ।।),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

विषयः– **उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों, जो दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ते का भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पारेषण कारपोरेशन के आदेश संख्या–4283–पारे0अनु0–16 / पाट्राकालि / 2019–(74) / 2013 दिनांक 23.11.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमानों में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2019 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य होगा :–

तिथि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2019	मूल वेतन का 12 प्रतिशत

2- उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महँगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :–

I. इस आदेश द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन / भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता / वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

II. महँगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन' नहीं माना जायेगा।

III. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएं चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति, मृत्यु या सेवा–मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा–समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

IV. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

V. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक की देय अवशेष धनराशि, धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र इसी वित्तीय वर्ष में नकद किया जायेगा एवं दिनांक 01 मार्च, 2019 से देय धनराशि का भुगतान माह मार्च, 2019 के नियमित वेतन के साथ माह अप्रैल, 2019 में किया जायेगा।

(क्रमशः.........2)

3- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा) द्वारा प्राधिकार–पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)

सं0– 900(I) पारे0अनु0–16/पाट्राकालि/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा०का०लि०, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रांसमिशन की वेबसाईट, **www.upptcl.org** पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (पारेषण)